प्रेषक, संख्या–389 / पांच–5–2021

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2021

विषय:–महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों के उचित क्वारंटाइन तथा कोविड जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोरोना वायरस के नवीन केस अत्याधिक संख्या में प्रतिदिन संसूचित हो रहे हैं। विगत अनेक सप्ताह से उत्तर प्रदेश में कोविड रोग के नवीन मामलों की संख्या काफी कम है तथा अनेक जनपदों में सक्रिय केसेज की संख्या शून्य अथवा एकांक में है। ऐसी स्थिति में कोविड रोग के नए मामलों को रोकने के लिए अधिक संक्रमण वाले प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के उचित क्वांरटाइन तथा कोविड संक्रमण हेतु जांच कराया जाना अत्यधिक आवश्यक है ताकि कोरोना वायरस के नवीन संचरण की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सके। इस संदर्भ में कृपया निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:–

महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों की सर्विलांस, क्वारेंटाइन, जाँच तथा आइसोलेशन

1.1 महाराष्ट्र एवं केरल से हवाईमार्ग से आने वाले यात्रियों का प्रदेश के एयरपोर्ट पर एन्टीजन जांच कराई जाए। लक्षणयुक्त होने पर आर0टी0पी0सी0आर0 का नमूना लिया जाए।

1.2 रेल मार्ग एवं बस आदि से आने वाले यात्रियों की सूचना सम्बन्धित परिवहनकर्ता से प्राप्त कर निगरानी एवं आवश्यकतानुसार टेस्टिंग की कार्यवाही की जाए।

1.3 सभी जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला सर्विलांस इकाई के संपर्क नंबरों तथा क्वारेंटाइन एवं जाँच सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का उल्लेख करते हुए प्रचार सामग्री सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा एयरपोर्ट्स पर प्रदर्शित की जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर से जनपद में स्थापित एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेंशन, बस अड्डों से इन दो राज्यों से आने वाले यात्रियों की सूची प्राप्त करवाकर जनपदीय सर्विलांस दलों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इन यात्रियों के सर्विलांस, क्वारंटाइन तथा जाँच की उचित व्यवस्था की जा सके। अपेक्षित है कि यात्री स्वयं भी अपने विषय में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अथवा जनपदीय सर्विलांस यूनिट को सूचना दें।

1.4 नगरीय क्षेत्रो में मोहल्ला निगरानी समिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियाँ अपने क्षेत्र में इन दो राज्यों से वापस आने वाले यात्रियों की स्थिति तथा इन यात्रियों के द्वारा क्वारंटाइन में रहने के नियमों का अनुपालन किये जाने पर निगरानी रखें। ऐसे किसी यात्री के लक्षण युक्त हो जाने अथवा क्वारंटाइन के नियमों का अनुपालन न

co pankaj com-3

-2-

05422720005 कोविड कमांड सेंटर

18001805567

Scanned with CamScanner

करने की स्थिति में तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/जिला सर्विलांस इकाई/ जनपदीय कमांड सेण्टर को दूरभाष से सूचित करें।

1.5 सभी जनपदों में स्वास्थ्य ईकाइयों तथा निगरानी समितियों द्वारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रोगियों की संख्या की सघन निगरानी की जाए तथा किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार के रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने की स्थिति में कम्युनिटी सर्विलांस तथा कोविड जाँच हेतु नमूने एकत्र करने की कार्यवाही की जाये।

1.6 लक्षण युक्त यात्री -

1.6.1 महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लक्षण युक्त होने की स्थिति में ऐसे सभी यात्रियों की तत्काल अनिवार्य रूप से आर0टी0पी0सी0आर0 विधि द्वारा जाँच करायी जाये।

1.6.2 धनात्मक पाए जाने पर अनिवार्य रूप से होम अथवा फैसिलिटी आइसोलेशन में रखा जाए।

1.6.3 आर0टी0पी0सी0आर0 विधि द्वारा जाँच में ऋणात्मक पाए गए यात्री भी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश में आगमन के उपरांत एक सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहेंगे।

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपान सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

24.2.21

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–389(1)/पॉच–5–2021, तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजीज अहमद)
संयुक्त सचिव।

go pankaj com-3

Scanned with CamScanner

UTTAR
PRADESH

संख्या–1150 / पॉच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त निदेशक, एयरपोर्ट
(उ0प्र0 के अर्न्तगत)
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 24 मई, 2020

विषय–घरेलू उड़ानों के प्रारम्भ होने पर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों हेतु प्रोटोकॉल।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 25.05.2020 से घरेलू उड़ानों का परिचालन प्रारम्भ हो रहा है। उक्त के अनुक्रम में प्रदेश के हवाई अडडों पर आने वाले यात्रियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

1. आने वाले समस्त यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेगें। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जाए।

2. प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओ0टी0पी0 का उपयोग करते हुये स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का संलग्नक–1 में निर्दिष्ट विवरण अंकित करके पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एस0एम0एस0 भेजा जाएगा और एक पी0डी0एफ0 उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे ई–मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा इस एसएमएस या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। https://reg.upcovid.in लिंक पर पंजीकरण में कठिनाई होने पर यात्री **1800–180–5145** पर फोन कर सम्पर्क करें।

3. हवाई अड्डे पर सी0आई0एस0एफ0 दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्पले की जांच करने के उपरान्त ही यात्रियों को हवाई अड्डे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जाएगा। डिस्पले की जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री नो–कान्टेक्ट प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं।

4. सभी यात्रियों को सलाह दी जाएगी कि वे हर समय सोशल डिस्टेंसिंग/हैंड वाशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करें तथा मास्क/फेस कवर पहनें। किसी भी परिस्थिति में समूह में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।

5. जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हे 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारेन्टाइन किया जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारेन्टाईन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित होम-क्वारेन्टाईन के बारे में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश, मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति द्वारा सामुदायिक निगरानी-तंत्र लागू होगें। स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु जॉच के पश्चात होम-क्वारेन्टाइन में छूट देने हेतु अधिकृत होगा। आगमन के 6वें दिन आगन्तुक के द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम क्वारेन्टाइन समाप्त कर दिया जाएगा।

6. यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम-क्वारेन्टाइन की पर्याप्त व्यवस्था (उस व्यक्ति हेतु पृथक शौचालय सहित) न हो तो उसे इन्स्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा।

7. जो यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहॉ से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं अथवा वापस जा रहे हैं तो उन्हें अगली/वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को हॉट-स्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी।

8. यदि वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन का उपलब्ध कराएंगे। प्रभारी द्वारा ऐसे स्थान का नियमित रूप से सेनीटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने की स्थिति में इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर-1800-180-5145 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जाएगा।

10. पंजीकरण से संबन्धित डाटा/सूचना को आवश्यक निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ दैनिक आधार पर साझा किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-1150(1)/पॉच-5-2020 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

24.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

Annexure – 1

https://reg.upcovid.in

Airport Traveler Registration Form

Government of Uttar Pradesh

A. Traveler Details
   - Traveler Name
   - Age
   - Gender
   - Mobile Number
   - E-mail
   - Are you travelling with family?
   - Family Member Details
   - Arrival Date
   - Return Date
   - Mode of Return Journey

B. Traveler's Local stay Address
   - Local Contact Person Name
   - Local Contact Person Phone Number
   - City
   - District
   - Full Address
   - Pin Code

C. Travelling from
   - State
   - District